



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231497  
CG-DL-E-30112021-231497

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4539]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943

No. 4539]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

का.आ. 4909(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत जारी ऑक्सीजन सांद्रक के लिए 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम मूल्य को नियत / संशोधित करने से सम्बन्धित दिनांक 3 जून 2021 के का. आ. 2161(अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त के अनुसरण में 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमते नियत करने सम्बन्धी अधिसूचना जो 30 नवम्बर 2021 तक लागू है, इसे 31 मई 2022 या इस सम्बन्ध में अगले आदेश तक बढ़ाया जाता है।

2. दिनांक 3 जून 2021 के का. आ. 2161(अ) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[कां. सं./225/93/2021/एफ/फा. सं. 8(93)/2021/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

राजेश कुमार टी, उप-निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS****(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 30th November, 2021

**S.O. 4909(E).**—The National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2161 dated 3<sup>rd</sup> June 2021 issued notification under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of Oxygen Concentrators at first point of sale (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of the product. In continuation to the above notification, capping the trade margin of Oxygen Concentrator at first point of sale (price to distributor) upto 30<sup>th</sup> Nov 2021 is further extended upto 31<sup>st</sup> May 2022 or till further order.

2. The Notes (b) to (n) of the Notification S.O. 2161(E) dated 3<sup>rd</sup> June 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/225/93/2021/F /F. No. 8(93)/ 2021/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director